ter of transfer in CRPF has been received. However, two complaints, one relating to alleged demand of bribe from the candidates by the Recruiting Officer and the other relating to irregularities in the written tests and physical tests in recruitment in the Group Centre, CRPF, Pallipuram, Trivandrum have been received. These complaints are being enquired into departmentally.

(b) No, Sir.

Formation of separate hill State in U.P.

1014. SHRI SHANTI TYAGI:

SHRI ANAND PRAKASH GAUTAM:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the U.P. Government has recommended to the Central Government for the formation of a separate hill State in U.P.;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what action Government hove taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) to (c) The Government of Uttar Pradesh have forwarded a Resolution passed by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on 12-8-1991 urging the Central Government to create a separate State of "Uttaranchal" comprising the eight hill districts of Kumaon-Garhwal Divisions of Uttar Pradesh, viz. Nainital, Almora, Pithoragarh, Pauri Garhwal, Chamoli, Tehri Garhwal, Uttarkashi and Dehradun. Certain details of the proposal have been sought from the Government of Uttar Pradesh.

Posting on Medical Grounds in C.R.P.F.

1015. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that officers in C.R.P.F. are allowed to remain posted at one place for several years on medical grounds even for a decade;

(b) if so, the names of the officers of the rank of Astt. Commandant, II-IC (two 1-C), Commandant of C.R.P.F. who remained posted at Delhi for more than three years and the details of the medical treatment for which they have been allowed to rmain posted at the same place;

(c) whether Government propose to refer all such cases to a medical board consisting of eminent doctors; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) In CRPF, the Officers are allowed to remain posted at one place for more than the normal tenure of 3 years on medical grounds. But no Officer has been allowed to remain at one place for 10 years.

(b) Only one officer, Shri D. C. Pathak, 2-I/C has been posted at Delhi for more than 3 years on medical grounds. He is a heart patiant. He is posted in Delhi since 5th July, 1988.

(c) Shri Pathak's ailment does not interfere in the efficient discharge of his duties. Therefore, his case is not requred to be referred to a Medical Board under the Rules.

(d) Does not arise.

दिल्ली में चोरियां और डकैतियां

4016. **श्री अनन्तराम जायसवाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान सरकार के शासन काल के दौरान दिल्ली में 15 फरवरी, 1992 तक चोरी, घर में घुस कर डकैती (धारा 396 के अंतर्गत आने वाले मामलों सहित) तथा राहजनी की अलग-अलग थानावार घटनाओं की संख्या कितनी है तथा पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान इनकी संख्या कितनी थी ; और

(ख) इन घटनाओं में ग्रंतग्रस्त वस्तुओं का ग्रलग-ग्रलग ब्यौरा क्या है तथा पुलिस ने ग्रब तक इनमें से कितनी वस्तुएं बरामद की हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) ग्रौर (ख) सूचना एकत्र की जा रही है ग्रौर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली में ग्रपराध

1017. **श्री ग्रनन्तराम जायसवाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान सरकार के शासन काल के दौरान दिल्ली में 15 फरवरी, 1992 तक भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 308, 363 ग्रौर 366 के ग्रधीन पंजीकृत मामलों की ग्रलग-ग्रलग थानावार संख्या क्या है तथा पिछले वर्ष इसी ग्रवधि के दौरान इनकी संख्या कितनी थी : ग्रौर

(ख) प्रत्येक मामले में पकड़े गए ग्रपराधियों की संख्या क्या है ग्रौर ग्रभी कितने ग्रपराधी पकड़े जाने शेष हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, ग्रौर गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) ग्रौर (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । [दिखिए परिशिष्ट 162, ग्रनुपत्र संख्या 29]

दहेज के कारण मौतें

1018. **श्री ग्रनन्तराम जायसवाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान सरकार के शासन काल के दौरान 15 फरवरी, 1992 तक दहेज के कारण हुई मौतों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले वर्ष इसी ग्रवधि के दौरान दहेज के कारण हुई मौतों की संख्या क्या थी, ग्रौर

(ग) सरकार ने दहेज के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिये क्या उपाय किये हैं तथा इस संबंध में ग्रौर कौन-कौन से उपाय सरकार के विचाराधीन हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ग्रौर संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) ग्रौर (ख) वर्ष 1991 के उत्तरार्ध ग्रौर वर्ष 1992 की इसी ग्रवधि के दौरान दहेज के कारण सूचित हुई मौतों के राज्य-वार ब्यौरों के ग्रांकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं । (नीचे देखिए)

(ग) दहेज के कारण हुई मौतों के ग्रपराध सहित, ग्रपराधों को दर्ज करना, उसकी जांच पड़ताल करना, तथा ग्रपराध की रोकथाम करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों की है । तथापि, ऐसे ग्रपराधों की रोकथाम करने के लिए भारत सरकार ने कई उपाय किए हैं । दहेज निषध ग्रधिनियम, 1961 को वर्ष 1984 ग्रौर 1986 में कानून को ग्रधिक कड़ा बनाने के उद्देश्य से संशोधित किया गया था । इसके ग्रलावा, भारतीय दंड संहिता, ग्रपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 ग्रौर भारतीय साक्ष्य ग्रधिनियम, 1782 में, दहेज के कारण होने वाली मौतों के मामलों से कड़ाई से निपटने के लिए संशोधन किया गया था ।

सरकार द्वारा तथा कई महिला स्वयंसेवी संस्थाग्रों के माध्यम से महिलाग्रों को ग्रार्थिक रूप से ग्रात्मनिर्भर ग्रौर ग्रपने ग्रधिकारों के प्रति ग्रधिक जागरुक बनाने के देश्य से कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं । दहेज की सामाजिक बुराईयों के खिलाफ इलैक्ट्रानिक मीडिया के कार्यक्रमों द्वारा प्रचार करके जनसंचार ग्रभियानों का ग्रायोजन भी किया जा रहा है ।

राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को महिलाग्रों पर होने वाले ग्रपराधों से संबंधित विधायन को प्रभावकारी ढंग से लागू करने के ग्रनुदेश जारी किए गए हैं जिनमें दहेज के कारण होने वाली मौतों से संबंधित ग्रपराध भी शामिल है ।